फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

अन्नादेवी / सरकार

:624/2008 (धारा)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पधारे हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/5/25 को पेश हो।	
9/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप। पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 19/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	
19/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। बाबत पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 23/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	
23/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरुद्ध निर्णीत होने एवं तनकी संख्या -4 प्रतिवादी 1 के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –624/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –25.02.2005

1. श्रीमती भागा देवी वेवा स्व. श्री मांगीलाल
2. रुडमल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल मृतक दौराने दावा

   2/1 मूलचंद पुत्र स्व. रूडमल जी

   2/2 मुकेश पुत्र स्व. श्री रुडमल

   2/3 जमना देवी पत्नी कमलेश पुत्री स्व. रूडमल जी

   2/4 सुशीला पत्नी श्यामलाल पुत्री स्व. रूडमल जी

   2/5 मंजू देवी पत्नी भगवान सहाय पुत्री स्व. रूडमल जी

   2/6 सुमन पत्नी सुनील पुत्री स्व. श्री रुडमल

   2/7 लाली देवी पत्नि कृष्ण कुमार पुत्री स्व. श्री रुडमल

3. रामदयाल पुत्र स्व. मांगीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम दलपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर

...........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारए तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जेडीए सर्किल जेएलएन मार्ग जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई [illegible] अंतर्गत धारा– 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

उपस्थिति :–

(1) श्री आर. एस. शर्मा – अधिवक्ता वादीगण

दिनांक 23.05.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादीगण ग्राम दलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के निवासी है तथा ग्राम में रह कर अपना कृषि कार्य करते हैं। वादी क्रमांक 1 वादी क्रमांक 2 व 3 की माता है। वादी क्रमांक 2 व 3 के पिता व वादी क्रमांक 1 के पति मांगीलाल थे जिनका स्वर्गवास सन 1976 को हो गया। इस प्रकार उक्त स्वर्गीय घासीलाल के वारिस मांगीलाल व मांगीलाल के वारिस वादीगण है। ग्राम दलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 14 बारानी सौयम क्षेत्रफल 33 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार काश्तकार उक्त घासीलाल पुत्र नानगा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दलपुरा थे जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया था। जो खातोनी बन्दोबस्त 2010 से 2023 का उपलब्ध है उसमें मी उक्त खसरे पर घासीलाल पुत्र नानगा कौम ब्राह्मण निवासी दलपुरा का नाम दर्ज हैं। उक्त घासी पुत्र नानगा खसरा नम्बर 14 पर कृषि कार्य करते थे और उन के स्वर्गवास के पश्चात जो कि दिनांक 6 जनवरी सन 1976 में हो गया, उनके देहावसान के बाद उनके पुत्र मांगीलाल पुत्र घासीलाल इस भूमि पर कृषि कार्य करते रहे और भूमि उन के कब्जे काश्त में बनी रही। जो कि वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में बनी हुई है। वादीगण का कब्जा पूर्वजों के जमाने का है जो आज तक बिना किसी रुकावट के सतत् चला आता है जिसमें कभी भी किसी ने कोई व्यवधान कारित नही किया और वर्तमान में भी वादीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। वादीगण ने अपनी आवश्यकता के लिये जो नया राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया, उसमें खसरा नम्बर 14 चरागाह दर्ज किया हुआ मिला तो रिकार्ड की खोज बीन की गई और इससे यह तथ्य सामने आया कि राजस्व रिकार्ड में नोट लगा हुआ है कि आदेश एस०ओ० साहब मिसल सं० 522 तारीख फैसला 6—8—1956 चरागाह दर्ज किया गया । तथा यह भी लिखा हुआ कि चूंकि सफाई हो चुकी है इस कारण नोट लगाया गया हैं आयन्दा अमल बरामद तहसील में होगा । और इसी आधार पर वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खातेदारी से हटा कर गलत व गैर कानूनी तरीके से चरागाह दर्ज कर दी गई है जब कि वह चरागाह नहीं थी। अतः वादीगण का अधिकार है कि और गैर कानूनी रूप से बिना किसी आधार के चरागाह दर्ज किये गये अपने उक्त खसरा नम्बर 14 स्थित ग्राम दलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर को अपनी खातेदारी की भूमि घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड मैं जो चरागाह की गलत एण्ट्री की हुई है, उसे हटवा कर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करावे। ना तो एस०ओ० साहब को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त है कि वह किसी काश्तकार की खातेदारी की जमीन को चरागाह दर्ज कर दें' न ही एस०ओ० साहब को इस प्रकार की कोई सुनवाई करने का अधिकार है और ना ही एस०ओ० साहब को इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने का अधिकार हैं और ना ही एस०ओ0 साहब ने ऐसा कोई आदेश पारित किया। ना ही कभी किसी प्रकरण में सुनवाई हेतु एस०ओ0 साहब ने वादीगण के पूर्वजों को कोई नोटिस दिया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया और ना हो वादीगण के पूर्वजों ने ऐसे किसी प्रकरण में सुनवाई में हिस्सा लिया

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

। अतः उक्त कार्यवाही बिल्कुल गलत, गैर कानूनी, अनाधिकृत तथा वादीगण को बिना सुनवाई किये पैचिदा रूप से चलाई गई है। जिसका वादीगण या उन के पूर्वजों को कोई पता ही नही चला तो ऐसी कार्यवाही के कुप्रभाव वादीगण पर आरोपित नही किये जा सकते है। ऐसी कार्यवाही में गैर कानूनी है तथा प्रभावशुन्य घोषित किये जाने योग्य है। उक्त सम्बन्ध में कोई मुकदमा एस०ओ० साहब के पास चला ही नही, और एस० ओ0 साहब ने उक्त आदेश पारित भी नही किया क्योकि जब वादीगण को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होने महकमा बन्दोबस्त में उक्त पत्रावली क्रमांक 522 फैसला तारीख 6—8—1956 के निरीक्षण करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि महकमा बन्दोबस्त में इस प्रकार की कोई पत्रावली है ही नही ना ही कोई आदेश है ना कोई आलेख ना कोई एण्ट्री है क्योंकि यदि उक्त आदेश की प्रति प्राप्त हो जाती है तो उक्त आदेश को गैर कानूनी तथा प्रभावशुन्य घोषित किये जाने की कार्यवाही सदा न्यायालय में की जाती किन्तु अब चूंकि उक्त आदेश अपर्याप्य है और कही है ही नहीं, तो उक्त आदेश को निरस्त करने या गैर कानूनी एवम प्रभावशुन्य घोषित करने की कार्यवाही नही की जा सकती है केवल यही आशयित करना कानूनो आपेक्षित है कि राजस्व रिकार्ड मैं जो इण्ट्री की गई है, वह एण्ट्री बिना किसी आदेश और आधार के की गई है अतः गैर कानूनी हैं एवम प्रभावशुन्य है एवम ऐसी एण्ट्री को हटाये जाने के आदेश किये जाने अपेक्षित है और उसके आधार पर रिकार्ड में जो भी फेरबदल किये गये है, वो भी दुरस्त किये जाने योग्य है और पूर्व की खातेदारी जोकि वादीगण के पूर्वजों के नाम थी , उन के नाम की जाकर वर्त—मान में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। चूंकि उक्त खातेदारी बिना किसी आधार के चरागाह में बदली गई, अतः चरागाह की एण्ट्री को आधारहीन तथा गैर कानूनी घोषित किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किया जाना अपेक्षित है। क्योकि भूमि अभी भी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आती है । आगे जो बदोबस्त हुआ उसमे पुराने खसरा नम्बर 14 के स्थान पर नये नम्बर 206 रकबा 7.32 हेक्टेयर, खसरा नंबर 232 रकबा ०.24 हेक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.10 हेक्टेयर, ख०न० 236 रकबा ०.०9 हेक्टेयर, ख० नं. 237 रकबा ०.40 हेक्टेयर, ख०न० 209 /335 रकबा 0. 15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 211 /336 रकबा 0.15 हेक्टेष्ट, खसरा नं० 231 /337 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 212 /338 रकबा 0.08 हेक्टेयर एवम खसरा नम्बर 208। 339 रकबा 0.02 कायम किये गये । चूंकि उक्त नये नम्बरान वादीगण के पूर्वजो' को खातेदारी के खसरा न[illegible] के स्थान पर ही बनाये गये है अतः उक्त नये नम्बरान पर लिखी गई' च[illegible] उसके स्थान पर वादीगण की खातेदारी दर्ज किया जाना कानूनन आपेक्षित है। [illegible] दिनांक 25—5—2004 को जब उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो दिनांक 27—5—200[illegible] की नकल प्राप्त होने पर इस तथ्य की पुख्ता जानकारी होने पर बन्दोबस्त के रिकार्ड पर्ष में पत्रावली उपलब्ध नही होने के बाद उक्त गलत एण्ट्री को हटा कर वादीगण की खातेदारी उक्त खसरा नम्बरान पर दर्ज करने हेतु कानूनी नोटिस प्रतिवादीगण को दिनांक 10—12—2004 को दिया किन्तु उक्त कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नोटिस में दी गई अवधि दिनांक 9–2–2005 का समाप्त होने तक भी प्रतिवादीगण ने न तो उस एण्ट्री को दुरस्त किया, और ना कोई छानबीन की ना ही वादीगण को कोई सूचना दी और ना ही नोटिस का जवाब दिया अतः वाद पेश किया जाना अपेक्षित हुआ। उक्त गलत एण्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण को कभी भी उनकी कानूनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर सकते हैं एवम खड़ी फसल को नष्ट कर सकते है या अन्य कोई नुकसान पहुंचा सकते है जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है अतः प्रतिवादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अपेक्षित है कि वे वादीगण के उक्त विवादग्रस्त भूमि जिसका पुराना खसरा नं० 14 था और नये नम्बर वादपत्र के चरण क्रमांक 8 में दर्ज किये गये है पर से ना तो वादीगण को बेदखल करें, ना ही फसल नष्ट करें और ना हो अन्य किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचायें, ना ही किसी अन्य को तदर्थ प्रेषित करें। वाद कारण दिनांक 25–5–2004 को तथ्यो की जानकारी होने पर तथा 27–5–2004 को नकल प्राप्त होने पर तथा बन्दोबस्त के रिकार्ड में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने पर तथा गलत एण्ट्री को हटाकर वादीगण की खातेदारी दर्ज करने बाबत दिनांक 10–12–2004 को नोटिस दिये जाने पर व नोटिस की अवधि 9–2–2005 को खत्म होने के बीच में एण्ट्री दुरस्त नही करने तथा नोटिस का जवाब नहीं देने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने बिंदुवार जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम दलपुरा, के साबिक खसरा नंबर 14 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 206, 232, 235, 236, 237, 209/335, 208/339, 211/336, 231/337, 121/338 बनाये गये है। मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। मुताबिक मिशल बंदोबस्त संवत् 2046 अनुसार ग्राम–दलपुरा के उक्त हाल खसरा नम्बर 206, 232, 235, 236, 237, 209/335, 208/339, 211/336, 231/337, 121/338 सम्पूर्ण ही चरागाह दर्ज रिकार्ड है। (हाल मिशल बंदोबस्त संलग्न है।) ग्राम–दलपुरा के प्रकरणागत आराजी खसरा नम्बर पूर्व में चरागाह दर्ज थे तथा उक्त ग्राम के जविप्रा रीजन में अधिसूचित होने पर वर्तमान में जविप्रा के अधिकरण की खातेदारी में दर्ज होकर किस्म चरागाह दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादपत्र में जविप्रा का पक्षकार नही बनाया गया है। चारागाह भूमियों बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की माना जाकर स्पष्ट किया गया उक्त प्रकार की भूमियां इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधी या अधिनियमित में किसी बात के होते हुये भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

प्रकरण संख्या – 624/2008
मउनवाली – भागादेवी बनाम सरकार वगै०
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

बिंदुवार रिपोर्ट अनुसार ग्राम दलपुरा प० म०–चतरपुर के ख.न. 14 रकबा .3200 है की खाटेदारी गिरधारी पुत्र ग्यारसीराम जगदीश पुत्र उगारस्सा वनवारी पुत्र ग्यारसी राम बंशी पुन ग्यारसीराम बाबलूल पुत्र रामू, रूडमल पुत्र रामू, लालाराम पुत्र रामू शंकर पुत्र रामू सुरेश पुत्र ग्यारसीराम सीताराम पुत्र ग्यारसा हरिनारायण पुत्र रामू के नाम दर्ज थे। जसकी जमाबंदी सलग्न हो ख.नंबर 206, 232, 235–236, 237, 209/335–208/339, यह 211/336 231/337, 212/338, किटा 10 की खातेदारी जयपुर। विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो जिसकी जमाबंदी सलंग्न है। पुरानी जमाबंदी चौसाला (2059–62, 2063–2060 —2070) का अवलोकन करने पर पाया की से 2067–2070) का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नंबर 14 की खातेदारी रामू पुत्र जीवन, ग्यारसा पुत्र जीवन जाहि बागडा ब्राहम्ण दर्ज थे जिसकी जमाबंदी सलग्न है। पुरानी जमाबंदी चौलाला (2059–1 चौलाला (2059–62 2063–2066, 2067–2070) का अवलोकन करने पर पाया की 206, 232, 235, 236, 237, 209 232, 235, 236, 237, 209/335–208/339, 211/336/231/337 212/338 किया 10 की खाटेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के 212/338 नाम दर्ज है। अतः श्रीमान उपरोक्तनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अनुरोध है कि वादीगण द्वारा दाखिल वाद खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादग्रस्त कृषि भूमि खतरा नं. पुराना 14 वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसके खसरा नं. 14 को चरागाह गलत से दर्ज कर दिया ।

...........जिम्मेवादी

2. आया विवादग्रस्त कृषि भूमि पर पुराना खसरा नंबर–14 जिसके नये नबर 206, 232, 235, 236, 237, 209, 355, 211, 336, 231 337, 212, 338, 208, 339 प्रविादीगण के पूर्वजो से ही वादीगगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

............जिम्मेवादी

3. आया उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं था, अतः चरागाह की प्रविष्ठि राजस्व रिकार्ड में हटाई जाकर आराजीयात को खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जा सकें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

........जिम्मेवादी

4. आया विवादग्रस्त भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में चरागाह होने के कारण वादीगण घोषणा का अधिकारी नहीं है।

........जिम्मे प्रतिवादी

नायब कलक्टर आमेर मु. जयपुर

5. अनुतोष –

उपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

PW1 श्रीमती भागा देवी बेवा स्व. श्री मांगीलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

PW2 रामदयाल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य तहसीलदार तहसील आमेर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, रजि. एडी नोटिस अंतर्गत धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रदर्श– 3, डाक टिकट रसीद –4, डाक टिकट रसीद प्रदर्श– 5, खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श – 6, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 6 प्रदर्श – 7, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 7 प्रदर्श – 8, नकल प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्रदर्श – 9, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 10, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 11, जमाबंदी खेवट खतौनी प्रदर्श 12, जमाबंदी प्रतिलिपि प्रदर्श 15 वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादग्रस्त कृषि भूमि खतरा नं. पुराना 14 वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसके खसरा नं. 14 को चरागाह गलत से दर्ज कर दिया ।

...........जिम्मेवादी

2. आया विवादग्रस्त कृषि भूमि पर पुराना खसंरा नंबर–14 जिसके नये नबर 206, 232, 235, 236, 237, 209, 355, 211, 336, 231 337, 212, 338, 208, 339 प्रविादीगण के पूर्वजो से ही वादीगगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

............जिम्मेवादी

3. आया उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं था, अतः चरागाह की प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में हटाई जाकर आराजीयात को खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जा सकें।

........जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1, 2 व 3 सुविधा के दृष्टिगत एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1, 2 एवं 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है, संवत 1993 लगायत 2002 रजिस्टर चकबंदी निजामत के पूर्व अनुसार वादी ने अपने वाद मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि के पूर्वज निजामत के पूर्व के समय सरकारी लगान इस भूमि बाबत ही जमा कराते आ

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

रहे हो तथा लगातार काबिज रहे हो। भूमि कब्जे काश्त के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर RBJ 2002 Page 639 में प्रतिपादित किया है कि *Section 88- On the basis of entries in khasra girdawari plaintiff cannot be declared khatedar of disputed land- In this case plaintiff claimed khatedari rights on the basis of entries in khasra Girdawari. The khasra Girdawari is not a record of rights, therefore, on the basis of khasra Girdawari khatedari rights cannot be conferred. Further plaintiff could not prove his adverse possession.* यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वादीया के पर्वूजो का कब्जा नही होने के 06.08.1956 के खसरा नम्बर 14 चारागाह दर्ज किया गया जिससे हाल खसरा नम्बरान का निर्माण हुआ है। तथा अर्थात उक्त भूमि के चरागाह के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई। इसके अतिरिक्त यदि वादी का कब्जा मान भी लिया जावे तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है जैसा कि *आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 721, आर.आर.डी. 2011 पेज नम्बर 508, आर. आर.टी 2011(1) पेज नम्बर 315, आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 834, आर.आर.टी.. 2014–15(supp) पेज नम्बर 664 में विस्तार रूप से निर्णय पारित किया गया है।* यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि चारागाह भूमियों बावत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की माना जाकर स्पष्ट किया गया उक्त प्रकार की भूमियां इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि या अधिनियमित में किसी बात के होते हुये भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। जोकि धारा 16 के अवलोकन से स्पष्ट है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 को वादी साबित करने में असमर्थ रहे है अतः तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 आया वादी वादपत्र के मद नं० 3 ... भूमि कि किस्म चारागाह से परिवर्तित करवाये बिना नियमन या घोषणा ... करवाने का अधिकारी नही है

......प्रतिवादी 1

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी ... पर है। चारागाह भूमियों बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की माना जाकर स्पष्ट किया गया उक्त प्रकार की भूमियां इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि या अधिनियमित में किसी बात के होते हुये भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। जोकि धारा 16 के अवलोकन से स्पष्ट है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर ...

प्रकार प्रतिवादी 1 ने अपनी तनकी बखूबी साबित किया है। तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने का भार वादी पर था परन्तु वादी तनकी संख्या 1 लगायत 3 साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी संख्या 4 स्वतः भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

निर्णय

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरूद्व निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तदनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:18 IST
Reason: SelfAttested